

आदेश की क्रम सं०
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित
3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal (Review) Case No.33 of 2017

Dist.:- Patna

**PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.**

State of Bihar - Petitioner/ Appellant
Versus
Anil Kumar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner :
For the OP :

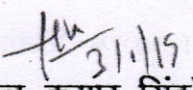
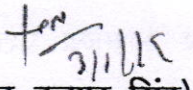
ORDER

03.01.2019

प्रस्तुत पुनर्विचार वाद (Review Petition) अपील वाद संख्या- 25/16 अनील कुमार बनाम राज्य सरकार में अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दायर किया गया है।

श्री अनिल कुमार, तत्कालीन सहायक, अपराध अनुसंधान विभाग सम्प्रति सहायक, सहकारिता विभाग (कार्यालय- निबंधक सहयोग समितियाँ) के विरुद्ध कार्यालय व्यय से संदिग्ध विपत्रों के द्वारा साजिश कर जाली हस्ताक्षर के द्वारा विपत्रों के भुगतान आदेश प्राप्त कर राशि निकासी का असफल प्रयास करने संबंधी आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही सं०-08/2003 प्रारम्भ की गई तथा श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक- 12089 दिनांक- 18.08. 2015 द्वारा तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने तथा देय तिथि से तीन वर्षों तक प्रोन्नति रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा दायर अपील वाद सं०- 25/2016 में सुनवाई करते हुए तत्कालीन माननीय अध्यक्ष-सह-सदस्य,

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	राजस्व पर्षद -सह- अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक- 08.05.2017 को पारित आदेश में आरोपित के अपील आवेदन को स्वीकृत किया गया। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी श्री अनील कुमार ने CWJC No.- 10322 of 2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 18.04.2018 को पारित आदेश की प्रति समर्पित की जिसमें उल्लेख है कि <i>Quasi Judicial Authority को Review</i> का अधिकार नहीं है। उक्त न्यायादेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराते हुए विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक- 21.12.2018 को विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श की प्रति उपलब्ध करायी गई। परामर्श का मुख्य अंश “<i>Hence, in view of the aforesaid, I am of the opinion, that no review can be maintained against such orders which are passed in exercise of quasi judicial power under and statute unless the statute itself provides so. Hence, the department can also have the option to file a writ petition before the High Court against the order passed by the learned Chairman, Member, Board of Revenue</i>” सभी पक्षों को सुनने, अभिलेख के परीक्षण एवं विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि <i>There is no provision of such review by the same authority.</i> पुनर्विचार आवेदन खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	